

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में कमेडी-भन्तोला-स्थाकोट मोटर मार्ग के किमी 0.2 से रंगधरा-मजगाँव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर कमेडीदेवी भन्तोला मोटर मार्ग के किमी 0.2 से प्रारम्भ होता है जो मजगाँव, रंगधरा इत्यादि ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 50 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह सरेखण सिविल भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। सरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी 0 तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी 0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.050 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.00 है 0 एवं नापभूमि 0.350 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम सरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखण नं 0-1 इस समरेखण के अनुसार इस मार्ग का सरेखण कमेडीदेवी-भन्तोला मोटर मार्ग के किमी 0.2 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी 0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में कोई भी हियर पिन बैण्ड नहीं पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस सरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखण नं 0-2 इस समरेखण के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल कमेडीदेवी-भन्तोला मोटर मार्ग के किमी 2 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी 0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखण में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 1 हियरपिन बैण्ड आता है तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासियों की वन पंचायत की इमारतों लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं 0-2 को निरस्त कर समरेखण नं-1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.050 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.00 है 0 एवं नापभूमि 0.350 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी 0 व चौड़ाई 7 मी 0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो 0नि 0वि 0
कपकोट



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो 0नि 0वि 0
कपकोट



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो 0नि 0वि 0
कपकोट